न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुकाम धमाणा

वाद नम्बर: 48 /2010

उनवान

1. रामकुंवार पुत्र गुल्ला, जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
2. रामा पुत्री पुत्र गुल्ला, जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
3. रूपनारायण पुत्र छीतर जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
4. मदनलाल पुत्र बन्ना जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
5. रामचरण पुत्र बन्ना जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
6. रंगलाल पुत्र रामनाथ जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. गोपाल पुत्र बद्री जाति जाट, निवासी मीरापुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।
3. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. सरपंच ग्राम पंचायत धमाणा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक 11/5/17

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटी/गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के प्रावधान वार्षिक अभिलेखों से सम्बन्धित है। धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व नक्शें में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के परास में नहीं आता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 में देय नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/5/17 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मुकाम साली पर सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी/कैम्प कोर्ट प्रभारी,
दूदू जिला जयपुर।

Scanned by CamScanner